संख्या- 125 /2025/877 /चार-2025- 1686818

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2025

विषय- जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के ग्राम बगरेही में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5771/सं0नि0-6(161)/2022-23, दिनांक 10 मार्च, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 70/2023/3045 (1) /चार-2022 दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के ग्राम बगरेही में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु मूल्यांकित लागत रू0 1303.47 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक परियोजना हेतु रू0 778.85 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, बाँदा के पत्र संख्या-1226/पी0सी0एल0/प0प्र0/ इकाई-13, बांदा/ संस्कृति दिनांक 31.01.2025 द्वारा फार्म-जे प्रस्तुत करते हुए टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 1297.86 लाख से अवगत कराया गया है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर के ग्राम बगरेही में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु टेण्डर कास्ट के अनुसार लागत रू0 1297.86 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में परियोजना की लागत की 5% धनराशि (रू0 64.89 लाख) को रोकते हुए, रू0 454.12 लाख (रू0 चार करोड़ चौवन लाख बारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 263 /2024 / 1860 /चार-2024-1686818 दिनांक 08 जुलाई, 2024, शासनादेश संख्या- 166 /2024 / 889 /चार-2024 दिनांक 22 मार्च, 2024, शासनादेश संख्या- 329/ 2023 / 7008/चार-2023 दिनांक 20 नवम्बर, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 70 /2023 / 3045 /चार-2022 दिनांक 22 फरवरी, 2023 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(2) अवशेष धनराशि की स्वीकृति शासन द्वारा नियमानुसार प्रदान की जायेगी।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,54,12,000/- (रुपये चार करोड़ चौवन लाख बारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 092 लेखा शीर्षक 4202048001200 महर्षि बाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र, चित्रकूट मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 125 /2025 / 877 (1) /चार-2025-1686818 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, इकाई-13, एम0आई0जी-67, इन्दिरा नगर (पावर हाउस के पास) बांदा-21001
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in